न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/3304/2003/बाँसवाड़ा

1– रामा पुत्र पूंजा
2– मंगजी पुत्र पूंजा
3– कमला पुत्री पूंजा
4– ऊंकार पुत्र पूंजा
5– नारायण पुत्र पूंजा
6– भाणीया पुत्र भेमजी
समस्त जाति भील निवासी ग्राम माकोद तहसील एवं जिला बांसवाड़ा।

.....अपीलार्थीगण।

बनाम

फूलीया पुत्र भेमजी जाति भील निवासी ग्राम माकोद तहसील एवं जिला बांसवाड़ा।

..... प्रत्यर्थी।

खण्ड–पीठ
श्री सी. आर. मीना , सदस्य
श्री सत्तार खां, सदस्य

उपस्थित :
श्री सुनिल पारीक, अभिभाषक अपीलार्थी।
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित, इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

निर्णय

दिनांकः– 07–06–2022

1– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1955') की धारा 224 के अन्तर्गत यह अपील, न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर कैम्पकोर्ट बांसवाड़ा द्वारा अपील संख्या 92/2003 में पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 24–04–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पो0/ वादी फूलीया ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा के समक्ष अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत बेदखली के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 69 नया 67 पुराना का सर्वे नम्बर 656/597 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम माकोद में स्थित वादी व प्रतिवादी संख्या 7 (वर्तमान अपीलार्थी संख्या 6) की खातेदारी की भूमि है तथा प्रतिवादी 1 लगायत 6 ने इस भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर वादी की फसल को नष्ट कर दिया तथा उनके कब्जे काश्त में रूकावट पैदा करते है, जिसपर पूर्व में हाल वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 (वर्तमान अपीलार्थी संख्या 6) ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत एक वाद उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा के न्यायालय में दिनांक 12—7—88 को प्रस्तुत किया, जिसमें सहायक कलक्टर, बाँसवाड़ा ने दिनांक 14—7—88 को निर्णय देते हुए इस खसरा नम्बर पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का कब्जा होने से वादी का वाद खारिज कर दिया। चूंकि इस भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने जबरन प्रवेश किया है। अतः वापस कब्जा पाने का वादी व प्रतिवादी संख्या 7 अधिकारी है। प्रतिवादी ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा काण्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया तथा कथन किया कि विवादित आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 7 (वर्तमान अपीलार्थी संख्या 6) का न तो आधिपत्य है तथा न ही वे खातेदार हैं, बल्कि इस भूमि पर प्रतिवादी 1 लगायत 6 का कब्जा बहैसियत पिछले 50 वर्षों से चला आ रहा है। अतः वादी इसका पुनः कब्जा पाने का हकदार नहीं है।

विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने दावे व जवाबदावे के आधार पर 8 तनकीयात कायम करते हुए बाद सुनवाई वादी का वाद डिक्री किया। अपीलार्थीगण/ प्रतिवादीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाँसवाड़ा के निर्णय व डिक्री दिनांक 28—2—2001 से व्यथित होकर अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बाँसवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिन्होंने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 24—4—2003 द्वारा निरस्त कर दी। अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24—4—2003 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3— अपीलार्थीगण पक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष कथन किया कि अपीलार्थीगण के पूर्वज वादग्रस्त आराजी पर सम्वत 2014 से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलार्थी द्वारा सम्वत 2014 से 2017 की खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी के पिता पूंजा पुत्र धन्ना की काश्त दर्ज थी। अपीलार्थीगण ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित किया है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का 50 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य को अनदेखा कर वादी का वाद डिक्री कर विधिक त्रुटि की है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का 50 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा था जिसके लिए अपीलार्थी ने काउन्ट क्लेम प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित करने की प्रार्थना की थी। अपीलार्थी का पुराना कब्जा काश्त होने के कारण वादी/रेस्पो0 का खातेदारी अधिकार धारा 63 (4) के तहत समाप्त होकर अपीलार्थी के पक्ष में निहित हो चुके थे। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सरसरी तौर पर निर्णय प्रदान कर अपीलार्थी का काउन्टर क्लेम निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कथन प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी के संदर्भ में वादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत सहायक जिलाधीश बाँसवाड़ा द्वारा दिनांक 27–8–1990 को वादी/ रेस्पो0 का कब्जा नहीं होने तथा अपीलार्थी प्रतिवादीगण का पुराना कब्जा काश्त होने के आधार पर मानकर खारिज किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने सहायक जिलाधीश बाँसवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–8–1990, खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 से 2017 एवं बयान गवाह को नजरअंदाज करते हुए निर्णय अपील पारित करने में भारी भूल की है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि एवं साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की जावे।

5– रेस्पो0पक्ष उपस्थित नहीं।

6– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों व अपीलाधीन दोनों निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया

7– विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में दावे व जावबदावे के आधार पर 8 तनकीयात कायम की। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय प्रदान करते हुए माना कि विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण के कथनानुसार उनका 50 वर्षों से पुराना कब्जा होने की बात अप्रमाणित है। विवादित आराजी के वादी तथा प्रतिवादी भाणीया पुत्र भेमजी की संयुक्त खातेदार है तथा इस पर प्रतिवादीगण द्वारा वर्ष

1988 के लगभग जबरन कब्जा कर लिया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 का दावा पेश किया गया था, उसमें भी विवादित आराजी पर अपना कब्जा होना अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी माना कि प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर बिना किसी वैध अधिकार के कब्जा कर लिया गया है जो कि अतिक्रमी की परिभाषा में आता है जो कानून के अन्तर्गत वैध नहीं है और प्रतिवादीगण अतिक्रमी होने के कारण वादी विवादित आराजी से उन्हें बेदखल करवा कर विवादित आराजी का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी तनकीवार निर्णय प्रदान करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को उचित मानते हुए अपीलार्थीगण की प्रथम अपील को खारिज किया है।

8— हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकीवार निर्णय प्रदान किये हैं तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने का कोई ठोस आधार हम नहीं पाते हैं।

9— फलस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24—4—2003 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्तार खां)
सदस्य

(सी.आर. मीना)
सदस्य